

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार

भाग - 2

संबंधित उपवनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है

प्रपत्र - 3

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/41604/2019

07	परियोजना का नाम/स्कीम का स्थान	
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	कोरबा
iii.	वन प्रभाग	कटघोरा
iv.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	43.942 हे.
v.	वन की कानूनी स्थिति	
	वन भूमि	निरंक।
	राजस्व वन क्षेत्र	43.942 हे.
vi.	हरियाली का घनत्व	<0.4
iv.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचॉई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफएफआरएल-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एफ-4 भी संलग्न किया जाए।	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वन भूमि राजस्व वन भूमि है एवं मौके पर स्थित वनस्पति की सघनता 0.4 से भी कम है। वृक्षों की संख्या कुल 1449 है। वृक्षों का गणना पत्रक/विदोहन योजना चेकलिस्ट क्रमांक-12 में संलग्न है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
v.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
vi.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन का सीमा से अनुमानित दूरी	10 कि.मी. से अधिक

vii.	क्या यह राष्ट्रीय वन उद्यान, वनजीव अभ्यारण्य, जीव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं है।
viii.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। (यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें)	नहीं है।
ix.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/परस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। (यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रधिकरण से अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो दें)	नहीं है।
08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
09	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं?	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र से दो गुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चयनित खैरागढ़ वनमण्डल, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.) में उपलब्ध 59.577 हे. बिगड़े वनभूमि एवं कर्वधा वनमण्डल, जिला कर्वधा (छ.ग.) में उपलब्ध 40.00 हे. बिगड़े वनभूमि कुल वनभूमि 99.577 हे. का विस्तृत योजना चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र के आस-पास से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वन्नेतर	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।

	क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र के आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उपवनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	चेकलिस्ट क्रमांक-17 में संलग्न है।
11	जिला उपवनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 8 और में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाईल	कटघोरा वन मण्डल कटघोरा
i.	वन मण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	4325.440 वर्ग कि.मी.
ii.	वन मण्डल का वन क्षेत्र	2050.901 वर्ग कि.मी
iii.	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र के वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	प्रकरण संख्या 31 रकबा 3774.223 हे.
iv.	1980 के जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	1434.248 हे.
क	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनेत्तर भूमि	निरंक
ग	वर्ष 2021-22 तक एक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
	• वनभूमि	1434.248 हे.
	• वनेत्तर	निरंक
13	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उपवनसंरक्षक की विशेष सिफारिशें।	अनुसंसा की जाती है

तारीख - 10-04-2023

स्थान - कुसमुंदा रवोउरी

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, जिला कोरबा (छ.ग.)

522